8/2/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। प्रा0प0 का मूल वाद विहीन में खारिज किया जा चुका है परन्तु स्थिति में प्रा0प0 में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। प्रार्थिनी का प्रा0प0 धारा 212 रेरा 1958 के विहीन में समाप्त किया जाता है। पत्रावली की यथा स्थिति इन्तजार की जाकर तथा आवश्यक कार्यवाही उपरान्त नस्ती जावे। निर्णय खुले न्यायालय में पत्रावली जाकर सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Govind Singh
Date: 2024.02.12 16:34:48 IST
Reason: SelfAttested